

कार्यालय मत्स्य निदेशालय, उत्तराखण्ड बड़ासी ग्रांट (धन्याड़ी), रायपुर रोड़, देहरादून

सूचना सं० – 02/एंग्लिंग/2017-18

देहरादून, दिनांक : दिसम्बर, 2017

--बीट आंवटन हेतु आवेदन आमंत्रण--

एतद्वारा जनपद देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी एवं बागेश्वर की नदियों में चिन्हित बीटों में एंग्लिंग लाईसेन्स निर्गत किये जाने हेतु स्थानीय स्तर पर गठित महिला मंगल दल, नवयुवक मंगल दल, स्वयं सहायता समूह, मत्स्य जीवी सहकारी समिति एवं स्थानीय स्तर पर अन्य प्राविधानों के तहत गठित समितियों/सोसाइटी आदि जो मात्स्यिकी कार्यों में अभिरुचि रखते हो, को लॉटरी माध्यम से 03 वर्षीय ठेके के आधार पर चिन्हित बीट आंवटन हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र० सं०	जनपद	नदी का नाम	बीट की संख्या	क्र० सं०	जनपद	नदी का नाम	बीट की संख्या
1.	उत्तरकाशी	पावर	01	2.	उत्तरकाशी	टौंस	02
3.	उत्तरकाशी	यमुना	06	4.	देहरादून	टौंस	01
5.	देहरादून	यमुना	01	6.	देहरादून	कथनो गाड़	01
7.	बागेश्वर	गोमती	07	8.	पौड़ी	पश्चिमी नयार	08
9.	पौड़ी	पूर्वी नयार	14	10.	पौड़ी	नयार	05
योग कुल बीटों की संख्या						46	

इच्छुक आवेदनकर्ता सम्बन्धित जनपद के मत्स्य विभाग कार्यालयों से निशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र प्राप्त करने के उपरान्त आवेदकों को अपने आवेदन समस्त औपचारिकताओं सहित दिनांक 12.01.2018 (अपराहन् 12:00 बजे) तक मत्स्य निदेशालय, बड़ासी ग्रांट (धन्याड़ी) देहरादून में रजिस्टर्ड डाक/स्पीड-पोस्ट से प्राप्त हो अथवा स्वयं उपस्थित होकर जमा किये जा सकते हैं। बीट आंवटन हेतु सूचीबद्ध एवं लॉटरी की कार्यवाही दिनांक 12.01.2018 को गठित समिति द्वारा मत्स्य निदेशालय, देहरादून में खोली जायेगी। लॉटरी प्रक्रिया की अन्य नियम व शर्तें लॉटरी प्रपत्र सम्बन्धित जनपदीय मत्स्य विभाग कार्यालयों से प्राप्त कर अथवा विभागीय वेबसाइट www.fisheriesuk.org से डाउनलोड कर देखी जा सकती हैं।

प्रपत्र डाउनलोड की तिथि

– 12.12.2017 से 08.01.2018

जनपदीय कार्यालयों एवं मत्स्य निदेशालय से प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि

– 12.12.2017 से 12.01.2018

प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तिथि

– 12.01.2018 (अपराहन् 12:00 बजे तक)

लॉटरी खुलने की तिथि, समय एवं स्थान

– मत्स्य निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में 12.01.2018 को अपराहन् 01 बजे

निदेशक मत्स्य, उत्तराखण्ड

कार्यालय मत्स्य निदेशालय, उत्तराखण्ड

मत्स्य भवन, बड़ासी ग्रांट (धन्याडी), देहरादून

— सूचना संख्या 02/एंग्लिंग/2017-18 दिनांक 07 दिसम्बर, 2017 की शर्तें व नियम—

- लॉटरी माध्यम से निम्न जनपदों की नदियों में चिन्हित बीटों को 03 वर्षीय ठेके के आधार पर आवंटित किया जायेगा

जनपद उत्तरकाशी की नदियों के बीटों का विवरण।

बीट संख्या	नदी का नाम	जोन	बीट का नाम	बीट की लम्बाई
1.	पावर	ट्राउट	सनेल से कास्टा	05.00 कि०मी०
2.	टौंस	ट्राउट	नैटवाड़ से बेनोल गांव	05.00 कि०मी०
3.	टौंस	महाशीर	बेनोल गांव से खूनीगाड़	05.00 कि०मी०
4.	यमुना	महाशीर	स्यानाचट्टी से पाली गाड़ व यमुना के संगम तक	05.00 कि०मी०
5.	यमुना	महाशीर	पालीगाड़ एवं यमुना संगम स्थल से खनेड़ा पुल तक	07.00 कि०मी०
6.	यमुना	महाशीर	गंगनानी सरनौल गाड़/ केदारगंगा के संगम से पौंटी तक	05.00 कि०मी०
7.	यमुना	महाशीर	पौंटी पुल से सौली (कमल नदी के संगम)	05.00 कि०मी०
8.	यमुना	महाशीर	सौली (कमल नदी के संगम) से गंगनानी धारा तक	05.00 कि०मी०
9.	यमुना	महाशीर	गंगनानी धारा से डामटा तक	05.0 क०मी०

जनपद बागेश्वर की नदियों के बीटों का विवरण।

बीट संख्या	नदी का नाम	जोन	बीट का नाम	बीट की लम्बाई
1.	गोमती	महाशीर	मैगडीस्टेट में नरसिंह मंदिर से पिगंलो तक	04.00 कि०मी०
2.	गोमती	महाशीर	पिगंलो से प्रकटेश्वर मंदिर तक	04.00 कि०मी०
3.	गोमती	महाशीर	प्रकटेश्वर मंदिरसे कार्तिकेश्वर मंदिर तक	04.00 कि०मी०
4.	गोमती	महाशीर	कार्तिकेश्वर मंदिर से तिलोणी तक	04.00 कि०मी०
5.	गोमती	महाशीर	चक्रवृहदेश्वर से ढकुरा गधेरे के संगम तक	04.00 कि०मी०
6.	गोमती	महाशीर	ढकुरा गधेरे के संगम से बिजौरीझाल गधेरे के संगम तक	04.00 कि०मी०
7.	गोमती	महाशीर	बिजौरीझाल गधेरे के संगम से गोपेश्वर मंदिर तक	04.00 कि०मी०

जनपद देहरादून की नदियों के बीटों का विवरण।

बीट संख्या	नदी का नाम	जोन	बीट का नाम	बीट की लम्बाई
5.	टौंस	महाशीर	अणु गांव से फेडीज पुल तक	04.00 कि०मी०
12.	यमुना	महाशीर	भद्रीगाड़ संगम से यमुना पुल तक	03.00 कि०मी०
17.	कुथनौ गाड़	महाशीर	दारमाटी छानी से आमखेत (यमुना पुल संगम) तक	02.00 कि०मी०

जनपद पौडी की नदियों के बीटों का विवरण।

बीट संख्या	नदी का नाम	जोन	बीट का नाम	बीट की लम्बाई
1.	पश्चिमी नयार	महाशीर	पैठाणी मोटर पुल से साँकरसौड बाजार तक	05.00 कि०मी०
2.	पश्चिमी नयार	महाशीर	साँकरसौड बाजार से कलगणी झूलापुल तक	04.00 कि०मी०
3.	पश्चिमी नयार	महाशीर	कलगणी झूलापुल से पाबौ मोटर पुल तक	04.50 कि०मी०
4.	पश्चिमी नयार	महाशीर	पाबौ मोटर पुल से कटूड बैण्ड	05.00 कि०मी०
5.	पश्चिमी नयार	महाशीर	कटूड बैण्ड से ज्वाल्पा मन्दिर तक	04.50 कि०मी०
6.	पश्चिमी नयार	महाशीर	ज्वाल्पा मन्दिर से पाटीसैण बाजार के समीप जलसंस्थान कॉलोनी तक	04.00 कि०मी०
7.	पश्चिमी नयार	महाशीर	पाटीसैण बाजार के समीप जलसंस्थान कॉलोनी से बौसाल मोटर पुल तक	04.00 कि०मी०
8.	पश्चिमी नयार	महाशीर	बौसाल मोटर पुल से चमोलीसैण तक	05.00 कि०मी०
9.	नयार	महाशीर	चमोलीसैण से बाँघाट पुल तक	03.00 कि०मी०
10.	नयार	महाशीर	बाँघाट पुल से भुवनेश्वरी मन्दिर तक	03.00 कि०मी०
11.	नयार	महाशीर	भुवनेश्वरी मन्दिर से सरोडा झूलापुल तक	04.00 कि०मी०
12.	नयार	महाशीर	सरोडा झूलापुल से थनगण गदेरे के संगम तक	04.00 कि०मी०
13.	नयार	महाशीर	थनगण गदेरे के संगम से ब्यासघाट तक	05.00 कि०मी०
14.	पूर्वी नयार	महाशीर	कुन्दीनगर(कोदयुबगड) से ब्यासी मोटर पुल तक	05.00 कि०मी०
15.	पूर्वी नयार	महाशीर	ब्यासी मोटर पुल से थलीसैण तक	05.00 कि०मी०
16.	पूर्वी नयार	महाशीर	थलीसैण से भण्डेली गदेरे के संगम तक	03.00 कि०मी०
17.	पूर्वी नयार	महाशीर	भण्डेली गदेरे के संगम से गरसारी पुल तक	04.50 कि०मी०
18.	पूर्वी नयार	महाशीर	गरसारी पुल से जिवई (बपता) झूलापुल तक	05.00 कि०मी०
19.	पूर्वी नयार	महाशीर	जिवई (बपता) झूलापुल से बैजरो पुल तक	05.00 कि०मी०
20.	पूर्वी नयार	महाशीर	बैजरो मोटर पुल से स्युंसी बाजार तक	03.00 कि०मी०
21.	पूर्वी नयार	महाशीर	स्युंसी बाजार से पण्डिडा झूला पुल तक	04.00 कि०मी०
22.	पूर्वी नयार	महाशीर	पण्डिडा झूला पुल से डुमेला तल्ला पुल तक	03.00 कि०मी०
23.	पूर्वी नयार	महाशीर	डुमेला तल्ला पुल से दुनाव मोटर पुल तक	05.00 कि०मी०
24.	पूर्वी नयार	महाशीर	दुनाव मोटर पुल से संगलाकोटी तक	05.00 कि०मी०
25.	पूर्वी नयार	महाशीर	संगलाकोटी से रिठाखाल तक	05.00 कि०मी०
26.	पूर्वी नयार	महाशीर	रीठाखाल से क्वाटा तक	05.00 कि०मी०
27.	पूर्वी नयार	महाशीर	क्वाटा बाजार से मैदागढ गदेरे के संगम तक	05.00 कि०मी०

2. जनपद में विद्यमान ट्राउट/महाशीर जोन की जलधाराओं में जन सहभागिता से एंग्लिंग टूरिज्म को बढ़ावा देने वाले एंग्लिंग कार्यक्रम अन्तर्गत बीट आवंटन स्थानीय रूप से गठित महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, स्वयं सहायता समूह, मत्स्य जीवी सहकारी समिति एवं स्थानीय स्तर पर अन्य प्राविधानों के तहत गठित समितियों/सोसाइटी आदि को पात्रता एवं लॉटरी के आधार से ही बीट आवंटित किये जायेंगे।
3. कार्य के सन्दर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि बीट आवंटन प्राप्त होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा चिन्हित बीट अन्तर्गत देशी एवं विदेशी पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय व्यक्तियों को निर्धारित धनराशि पर एंग्लिंग लाईसेन्स निर्गत किये जायेंगे।
4. आवेदनकर्ता को वर्ष 2017-18 हेतु अपने आवेदन प्रस्तुत किये जाने होंगे, जिसके आधार पर कुल 03 वर्ष अर्थात् वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक की अवधि हेतु ठेका स्वीकृत किया जायेगा। अवधि की गणना 01 जुलाई से 30 जून तक की अवधि को सम्मिलित कर की जायेगी। प्रथम वर्ष की अवधि स्वीकृति की दिनांक से प्रारम्भ होकर 30 जून तक मानी जायेगी।
5. एक आवेदनकर्ता मात्र एक बीट हेतु ही आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सम्बन्धित आवेदनकर्ता आवेदन किये जाने वाले बीट के आस-पास का होना अनिवार्य है।
6. आवेदनकर्ता को अपने आवेदन सीलबन्द लिफाफे के अन्दर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से मत्स्य निदेशालय, बड़ासी ग्रान्ट (धन्याड़ी) देहरादून को उपलब्ध कराये जाने होंगे। अथवा आवेदनकर्ता स्वयं उपस्थित होकर मत्स्य निदेशालय में रखी गयी लॉटरी पेटी में भी अपने आवेदन जमा कर सकते हैं।
7. लॉटरी के माध्यम से बीटों की आवंटन कार्यवाही शासन द्वारा गठित समिति के द्वारा मत्स्य निदेशालय, बड़ासी ग्रान्ट (धन्याड़ी) देहरादून में सम्पादित की जायेगी। समिति का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।
8. आवेदनकर्ता को आवेदन वाले लिफाफे पर प्रथम पंक्ति पर **“लॉटरी आधार पर बीट आवंटन हेतु आवेदन”** द्वितीय पंक्ति पर **“सम्बन्धित जनपद का नाम”** एवं तृतीय पंक्ति पर **“सम्बन्धित बीट संख्या एवं नदी का नाम”** अंकित किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगे। डाक विभाग द्वारा विलम्ब से उपलब्ध करायी गयी डाक हेतु मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कोरियर के माध्यम से उपलब्ध कराये गये आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
9. **लॉटरी आधार से बीट आवंटन प्रक्रिया हेतु आवेदन करने वाले आवेदनकर्ताओं को आवेदन के समय (आवेदन वाले लिफाफे के अन्दर) निम्न अभिलेख उपलब्ध कराये जाने होंगे –**
 1. सहमति हेतु सहमति पत्र (प्रपत्र क के अनुसार)।
 2. बीट आवंटन हेतु बयाने की धनराशि – ₹500=00 (पांच सौ मात्र) का डिमान्ड ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत हो एवं सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य के पक्ष में निर्गत हो।
 3. गत वर्ष में लाभ-हानि के खाते की प्रमाणित प्रति एवं समिति/संस्था की अद्यतन वित्तीय स्थिति।
 4. पर्यावरणीय कार्यों का अनुभव प्रमाण पत्र अथवा विवरण।
 5. जनसहभागिता से कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र अथवा विवरण।
 6. समाजिक कार्यों का अनुभव प्रमाण पत्र अथवा विवरण।
 7. संस्था गठन के उपरान्त संस्था द्वारा किये गये संतोषजनक कार्यों का अनुभव प्रमाण पत्र अथवा विवरण।

8. मत्स्य पालन में प्रशिक्षण एवं मछलियों की जानकारी के साथ-साथ, आदि का अनुभव प्रमाण पत्र अथवा विवरण।
9. ₹100/- का स्टाम्प पेपर (अनुबंधित), प्रस्तुत आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
10. **लॉटरी बीट आवंटन प्रक्रिया में संस्थाओं को निम्नानुसार वरीयता दी जायेगी –**
 - 1) पर्यावरणीय कार्यों का अनुभव।
 - 2) जनसहभागिता से कार्य करने का अनुभव।
 - 3) समाजिक कार्यों का अनुभव।
 - 4) संस्था गठन के उपरान्त संस्था द्वारा किये गये संतोषजनक कार्यों का अनुभव।
 - 5) मत्स्य पालन में प्रशिक्षण एवं मछलियों की जानकारी आदि का अनुभव।
 - 6) उपरोक्त एक से पांच क्रमांक तक की शर्तों का पूर्ण करने के साथ साथ आरक्षित धनराशि के सापेक्ष उच्चतम धनराशि प्रस्तुत करने वाले आवेदनकर्ता के पक्ष में लॉटरी स्वीकृत की जायेगी।
11. बीट आवंटन हेतु प्राप्त आवेदनों को उपरोक्त शर्त संख्या 9 एवं 10 में निर्धारित पात्रता/वरीयता के आधार पर सूचीबद्ध कर बीट आवंटन हेतु लॉटरी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु गठित समिति द्वारा चयनित किया जायेगा।
12. प्रत्येक बीट हेतु ₹5,000=00 का आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया है। आवेदनकर्ता आरक्षित मूल्य से अधिक की धनराशि भी प्रस्तुत कर सकता है। सफल आवेदनकर्ता को स्वीकृत बीट में स्वीकृत वार्षिक धनराशि के अनुसार ही धनराशि जमा की जानी होगी।
13. संस्थाओं को सूचीबद्ध किये जाने एवं लॉटरी प्रक्रिया शासन द्वारा गठित समिति द्वारा सम्पादित की जायेगी, जिस पर समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
14. सफल आवेदनकर्ता/संस्था को स्वीकृति के दिनांक से अधिकतम दो सप्ताह के भीतर अनुबंध पत्र पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
15. कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार स्टाम्प पंजीकरण अधिनियम के अनुसार देय स्टाम्प ड्यूटी संदत्त की जायेगी तथा तदनुसार अनुबंध पत्र निष्पादित किया जायेगा। अनुबंध के समय अनुबंधकर्ता को वर्ष 2016-17 हेतु बीट हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि तथा साथ ही स्वीकृत धनराशि के अनुसार तीन वर्षों की कुल धनराशि का 20 प्रतिशत धनराशि जमानत धनराशि के रूप में जमा की जानी होगी। स्वीकृत धनराशि डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में तथा जमानत धनराशि डिमान्ड ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में जमा की जायेगी जो किसी राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा निर्गत हो तथा सम्बन्धित जनपद के उप निदेशक मत्स्य/सहायक निदेशक मत्स्य के पक्ष में देय होगी।
16. यदि निर्धारित समयवधि में सफल आवेदनकर्ता द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि एवं धरोहर धनराशि जमा करते हुए अनुबंध नहीं किया जाता है तो बयाने की धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं बीट आवंटन की स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
17. बीट आवंटन ठेके के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में कार्यदायी संस्था को 30 जून से पूर्व बीट की स्वीकृत धनराशि जमा की जानी होगी, तदुपरान्त ही द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में एंग्लिंग परमिट निर्गत किये जाने की अनुज्ञप्ति जारी की जायेगी।
18. प्रथम वर्ष में अनुबंध पत्र पूर्ण रूपेण निष्पादित होने के उपरान्त मत्स्य निदेशालय द्वारा सफल आवेदनकर्ता को सम्बन्धित बीट में एंग्लिंग लाईसेन्स निर्गत किये जाने की अनुज्ञप्ति जारी की जायेगी। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में निर्धारित धनराशि ससमय जमा होने के उपरान्त ही एंग्लिंग लाईसेन्स निर्गत किये जाने की अनुज्ञप्ति जारी की जायेगी।
19. यदि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित किश्तें जमा नहीं की जाती है तो सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा सहायक निदेशक मत्स्य के नामें राष्ट्रीकृत बैंक में जमा

धरोहर धनराशि से उक्त लम्बित किश्त का समायोजन किश्त जमा करने हेतु निर्धारित तिथि से अगले दिन और यदि अगला दिन सार्वजनिक अवकाश हो, तो उसके ठीक दूसरे दिन, प्रत्येक दशा में जमा किया जायेगा। यह दायित्व सम्बन्धित प्रभारी व उनके नियंत्रक अधिकारी यथा सहायक निदेशक मत्स्य का होगा।

20. यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो शासकीय धन की क्षति के लिए उत्तरदायित्व मानते हुये सम्बन्धित प्रभारी एवं सहायक निदेशक मत्स्य के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जायेगी और इस तथ्य का उल्लेख उसकी आगामी वर्ष की चरित्र पंजिका में भी अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
21. कार्यदायी संस्था को अनुबन्ध के अनुसार पूरे तीन वर्षों तक ठेका चलाना होगा। ठेके की अवधि समाप्त होने के छः माह उपरान्त जमानत धनराशि वापस की जायेगी। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा मध्य में ही ठेका छोड़ दिया जाता है तो जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी और यदि जमानत धनराशि जब्त करने के उपरान्त भी कार्यदायी संस्था पर ठेके की देय धनराशि अवशेष रह जाती है तो उसका भुगतान कार्यदायी संस्था द्वारा सहायक निदेशक मत्स्य के नामें राष्ट्रीकृत बैंक में जमा धरोहर धनराशि में से समायोजित कर लिया जायेगा।
22. यदि किसी कार्यदायी संस्था पर ठेके से सम्बन्धित कोई धनराशि बकाया रह जाती है तो उक्त धनराशि को भू-राजस्व के समान वसूली का अधिकार प्रशासनिक विभाग का होगा। पूर्व में मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्य कर चुके ऐसे कार्यदायी संस्था जिनके द्वारा अपनी कार्य अवधि के दौरान विभागीय शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा जिन पर विभागीय देय धनराशि बकाया हो, बीट आंवटन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
23. सम्बन्धित बीटों के प्रभारियों के कार्यों के पर्यवेक्षण एवं निर्देशन हेतु नियंत्रक अधिकारी सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य होंगे।
24. एंग्लिंग कार्यक्रम से जनपद में पर्यटन को बढ़ावा मिले, इस हेतु कार्यदायी संस्था देशी/विदेशी पर्यटकों/बीट के आस-पास के स्थानीय व्यक्तियों हेतु एंग्लिंग परमिट दरें निम्न तालिका के अनुसार निर्धारित है। कार्यदायी संस्था आवश्यकतानुसार निर्धारित दर से अधिक दरों पर देशी एवं विदेश पर्यटकों को परमिट निर्गत कर सकता है परन्तु रोजगार की दृष्टि से स्थानीय व्यक्ति हेतु निर्धारित दर को उत्तराखण्ड शासन/मत्स्य विभाग की अनुमति के बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

एंग्लर्स का विवरण	एंग्लिंग परमिट निर्गत किये जाने हेतु निर्धारित दरें (प्रति एंग्लिंग परमिट)	
	महाशीर जोन	ट्राउट जोन
देशी पर्यटक	₹75/-	₹100/-
विदेशी पर्यटक	₹150/-	₹200/-
रोजगार की दृष्टि से स्थानीय व्यक्ति	₹20/-	₹20/-

(स्थानीय व्यक्ति का तात्पर्य – बीट के आस-पास के क्षेत्र के ऐसे व्यक्ति, जो पूर्व से मछली पकड़ने का कार्य करते हैं तथा मछली ही जिनकी आजीविका है।)

25. प्रत्येक दिवस पर एंग्लिंग कार्य की अनुमति सूर्योदय (प्रातः 08:00 बजे) से सूर्यास्त (सायं: 5:00 बजे) तक ही अनुमन्य होगी।
26. कार्यदायी संस्था द्वारा एंग्लिंग कार्य हेतु केवल निर्धारित एंग्लिंग रोड का ही उपयोग किया जायेगा। यदि ट्राउट एवं महाशीर मछली क्रमशः 300 ग्राम एवं 500 ग्राम निर्धारित वजन से कम वजन की पकड़ी जाती है तो उसे पुनः जलधारा में छोड़ना होगा, जिससे कि मत्स्य संरक्षण एवं संवर्दन को किसी प्रकार से क्षति न पहुँचे।

27. ट्राउट एवं महाशीर बीटों के अन्तर्गत किसी भी दशा में जाल का उपयोग किया जाना वर्जित होगा।
28. महाशीर जलक्षेत्र के संगम से सामान्य जलक्षेत्र के एक किलोमीटर बहाव व एक किलोमीटर बहाव के विपरीत दिशा में जाल आदि से मत्स्य आखेट का कार्य पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित होगा।
29. सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी/बीट प्रभारी द्वारा एंग्लिंग से पकड़ी गयी मछलियों की संख्या एवं जारी किये गये एंग्लिंग परमिट एवं एंग्लिंग परमिट हेतु प्राप्त किये गये मूल्य का विवरण प्रत्येक दिवस के लिए अनुरक्षित किया जायेगा एवं कार्यदायी संस्था को विभागीय अधिकारियों को सम्बन्धी सूचना उपलब्ध करानी होगी।
30. टेके की अवधि में बीट व उसके आस-पास के वातावरण को एंग्लर्स एवं उनके सहयोगियों तथा कार्यदायी संस्था द्वारा कोई क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी तथा मछलियों के अतिरिक्त अन्य जलजीवों को भी कोई क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी। यह दायित्व सम्बन्धित बीट के कार्यदायी संस्था एवं प्रभारी का होगा।
31. यदि कार्यदायी संस्था द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो तत्काल रूप से आंवटित बीट को निरस्त कर दिया जायेगा।
32. कार्यदायी संस्था द्वारा आंवटित बीट में 15 हजार ट्राउट/महाशीर मत्स्य बीज प्रति किलो मीटर की दर से प्रति वर्ष विभाग के अधिकारी के समक्ष संचय किया जायेगा। संचित मत्स्य बीज का मूल्य तथा यातायात व्यय प्रतिवर्ष सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा जमा किया जायेगा।
33. मत्स्य सम्पदा के संरक्षण हेतु आंवटित कार्यक्षेत्र में वर्षा ऋतु के उपरान्त नदी का जल स्तर घटने पर उसके छुड़ानों में फसी हुयी छोटी मछलियों को कार्यदायी संस्था द्वारा पकड़ कर मुख्य जलाधारा में संचित करना होगा।
34. संविदा अवधि समाप्त होने के पश्चात् जमानत धनराशि वापस की जायेगी। यदि संविदा अवधि में कार्यदायी संस्था द्वारा नदियों की सम्पत्ति को कोई हानि पहुंचाई जाती है अथवा इस अनुबन्ध की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो उसकी प्रतिपूर्ति/कटौती जमानत धनराशि से की जायेगी। यदि सम्पत्ति को पहुंचाई गई हानि की धनराशि जमानत धनराशि से कटौती के उपरान्त भी अवशेष रहती है तो उसे कार्यदायी संस्था द्वारा सहायक निदेशक मत्स्य के नामें राष्ट्रीकृत बैंक में जमा धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
35. एंग्लिंग कार्य निर्धारित बीट के क्षेत्रफल तक ही किये जा सकेंगे।
36. कार्यदायी संस्था और उसके प्रतिनिधि, बीट के आस-पास की किसी भी सरकारी/निजी सम्पत्ति को कोई क्षति नहीं पहुंचायेंगे तथा इस सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों के आदेश स्वीकार्य होंगे।
37. वर्षा ऋतु के दौरान जब मुख्य नदी का जल स्तर बढ़ कर उसका पानी गन्दा हो जाता है तो ऐसे समय में मछलियों मुख्य जलधारा को छोड़कर साफ पानी वाली छोटी जलधाराओं में चली जाती है, इस अवधि में इस प्रकार की जलधाराओं के आस पास किसी भी प्रकार का मत्स्य आखेट नियम 12 के उपनियम (12) के परन्तुक को छोड़कर प्रतिबन्धित होगा।
38. ट्राउट/महाशीर बीटों में एंग्लिंग कार्यक्रम निम्न अवधि में प्रति वर्ष पूर्णत प्रतिबन्धित रहेगी –

ट्राउट जोन – 01 नवम्बर से 28 फरवरी

अन्य जोन – 01 जुलाई से 30 सितम्बर

प्रजनन काल की अवधि में कार्यदायी संस्था द्वारा आंवटित बीट एवं उसमें समाहित होने वाली जलधाराओं में महाशीर/ट्राउट प्रजाति की मछलियों का संरक्षण

(शर्त संख्या 37 के अनुसार) कार्य किया जाना अनिवार्य होगा। यदि मत्स्य सम्पदा के संरक्षण एवं संवर्द्धन के कार्य में कार्यदायी संस्था में कोई भी लापरवाही बरती जाती है तो बीट आंवटन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

39. इसके उल्लंघन करने पर उत्तराखण्ड मत्स्य अधिनियम 2003 के सुसंगत धाराओं के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी
40. उत्तराखण्ड शासन/निदेशक मत्स्य/सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य, द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कार्यदायी संस्था या उसके प्रतिनिधि द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शर्तों/प्रतिबंधों के उल्लंघन की दशा में संविदा समाप्त मानते हुए एंग्लिंग कार्य तत्काल बन्द कर दिये जायेगे और उक्त अवधि की ठेके की धनराशि की किस्त यदि अवशेष रह जाती है तो उसका भुगतान कार्यदायी संस्था द्वारा सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य के नामें राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा धरोहर धनराशि से समायोजित कर किया जायेगा।
41. ठेका से सम्बन्धित कोई भी बकाया राशि भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूल की जा सकेगी।
42. शासन/मत्स्य विभाग द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी, कार्यदायी संस्था द्वारा एंग्लिंग रोड से की गयी शिकारमाही मछली की जांच किसी भी स्थान पर कर सकते है। संदेह एवं असंतोषजनक स्थिति में एंग्लिंग रोड तत्काल जब्त की जायेगी तथा कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जा सकेगी। एंग्लिंग कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितताओं के लिए सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पर रू0 5,000.00 तक की धनराशि का जुर्माना एक समय में किया जा सकता है।
43. विभाग द्वारा प्रायोगिक शिकारमाही करने में कार्यदायी संस्था को कोई आपत्ति नहीं होगी। मत्स्य उत्पादन हेतु विभाग द्वारा शीत-संरक्षण, पोस्ट हार्वेस्टिंग व अन्य वैज्ञानिक विधियों से मत्स्य उत्पादन, संरक्षण कौनिंग, ब्रूडर कलैक्शन, इत्यादि अवस्थापनाएं स्थापित करने हेतु कार्यदायी संस्था को पूर्ण सहयोग करना होगा।
44. कार्यदायी संस्था यदि किसी कारणवश एंग्लिंग कार्य को बन्द करना चाहता है तो उसकी सूचना न्यूनतम तीन दिवस पूर्व सहायक निदेशक मत्स्य अथवा प्रभारी अथवा मत्स्य निदेशालय को देनी अनिवार्य होगी।
45. कार्यदायी संस्था को गत वर्ष में लाभ-हानि के खाते की प्रमाणित प्रतिलिपि, समिति की वित्तीय स्थिति, समिति द्वारा शर्तनामा भरने, धनराशि जमा करने, अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने तथा विभाग से पत्राचार करने हेतु अधिकृत व्यक्ति/पदाधिकारी के सम्बन्ध में समिति की बैठक के तत्सम्बन्धी प्रस्ताव पारित कर उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी आवश्यक होगी तथा संस्था द्वारा दो-दो प्रतिनिधियों के नामों का प्रस्ताव फोटो सहित सत्यापित कर प्रस्तुत की जायेगी।
46. इस प्रपत्र में उल्लिखित उपरोक्त सभी शर्तें अनुबन्ध का भाग समझी जायेंगी।
47. मत्स्य आखेट हेतु उत्तराखण्ड राज्य जल प्रबन्धन मत्स्य पालन एवं संग्रहण नियमावली, 2013 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा, जो कि नियमावली में दिये गये प्रतिबन्धों के अधीन होगा।
48. ठेके के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की दशा में मामला शासन द्वारा नियुक्त मध्यस्थ जो कि अपर सचिव स्तर से अनिम्न अधिकारी होगा, को संदर्भित किया जायेगा, मध्यस्थ की नियुक्ति शासन द्वारा आर्बीटेशन एण्ड कन्सीलिएशन एण्ट 1996 के प्राविधानों के तहत की जायेगी तथा किसी भी प्रकार के विवाद हेतु न्यायक्षेत्र देहरादून होगा।

कार्यालय मत्स्य निदेशालय, उत्तराखण्ड

बड़ासी ग्रांट (धन्याड़ी), रायपुर रोड, देहरादून

जनपद स्थित नदी के बीट
..... से तक के बीट आवंटन आवेदन हेतु सहमति पत्र

महोदय,

मैंने/हमने निम्नांकित जनपद की नदी में चिह्नित बीट के आवंटन हेतु आवेदन प्रपत्र की संलग्न सभी शर्तों को पढ़ लिया है व भली भांति समझ लिया है। मुझे/हमें सभी शर्तें स्वीकार हैं। बीट आवंटन की स्वीकृति सूचना मिलने पर दो सप्ताह के अन्दर मैं/हम अपने धन से खरीदे हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध प्रपत्र पूर्ण करने को तैयार हूँ/हैं और आवेदन प्रपत्र में निर्धारित बयाने की धनराशि का डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में संलग्न कर दी है। बीट आवंटन की स्वीकृति पर मैं/हम समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर निर्धारित अवधि में अनुबन्ध पूर्ण कर सम्बन्धित बीट में एंग्लिंग लाईसेन्स की अनुज्ञप्ति आदेश प्राप्त करने हेतु बाध्य होंगा/होगें।

क्र० सं०	जनपद/नदी/बीट का नाम	एक बीट हेतु आरक्षित धनराशि (₹ में)	बयाने की धनराशि (आरक्षित धनराशि का 10 प्रतिशत) (₹ में)	आवेदनकर्ता द्वारा बीट के लिए प्रस्तुत वार्षिक धनराशि (₹ में)
1	2	3	4	5
1.	जनपद नदी जोन बीट से तक	₹5000=00 (₹पांच हजार मात्र)	₹500=00 (₹पांच सौ मात्र)	₹.....

उपरोक्त बीट हेतु आवेदन प्रपत्र निःशुल्क प्राप्त करते हुए मेरे द्वारा बयाने की धनराशि ₹500=00 का बैंक ड्राफ्ट/डिमान्ड ड्राफ्ट संलग्न किया जा रहा है, जिसका नम्बर जमा किया गया है।

- आवेदनकर्ता का नाम
- आवेदनकर्ता का पूरा पता नोटरी द्वारा प्रमाणित
- आवेदनकर्ता/संस्था के किसी व्यक्ति का पहचान पत्र (राशन कार्ड/चुनाव आयोग द्वारा निर्गत पहचान पत्र/वाहन चालन अनुज्ञा/आयकर खाता संख्या प्रमाण पत्र)
- आवेदन के साथ अनिवार्यतः ₹100 के स्टाम्प पेपर (अनुबंधित)

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर
दिनांक

सम्बन्धित जनपद में बीट आवेदन हेतु आवेदन प्रपत्र प्राप्त किये जाने के लिए विभागीय जनपदीय कार्यालय के नाम एवं सम्पर्क सूत्र

क्र० सं०	जनपद का नाम	पता	सम्पर्क सूत्र
1.	देहरादून	कार्यालय जनपद मत्स्य प्रभारी मत्स्य निदेशालय, बड़ासी ग्रान्ट (धन्याड़ी) रायपुर, देहरादून।	श्री विनोद कुमार यादव, जनपद मत्स्य प्रभारी +917251000156, +919411142500
2.	बागेश्वर	कार्यालय जनपद मत्स्य प्रभारी, विकास भवन, बागेश्वर।	श्री मनोज सिंह मियान, जनपद मत्स्य प्रभारी +917251000181 +919411316333
3.	उत्तरकाशी	कार्यालय सहायक निदेशक मत्स्य, विकास भवन, उत्तरकाशी।	श्री पी०के०शुक्ल, सहायक निदेशक मत्स्य +917251000170 +918881274926
4.	पौड़ी गढ़वाल	कार्यालय जनपद मत्स्य प्रभारी, विकास भवन, 7 ई०, ब्लाक, पौड़ी गढ़वाल	श्री अभिषेक कुमार मिश्रा, जनपद मत्स्य प्रभारी +917251000166 +918937080933

समस्त जनपदों के बीट आवेदन हेतु आवेदन प्रपत्र प्राप्त किये जाने के लिए मत्स्य निदेशालय कार्यालय के नाम एवं सम्पर्क सूत्र

क्र० सं०	जनपद का नाम	पता	सम्पर्क सूत्र
1.	देहरादून	कार्यालय मत्स्य निदेशालय, बड़ासी ग्रान्ट (धन्याड़ी) रायपुर, देहरादून।	श्री एच०के०पुरोहित, उप निदेशक मत्स्य (नियो०) +917251000152

कार्यालय मत्स्य निदेशालय, उत्तराखण्ड बड़ासी ग्रांट (धन्याड़ी), रायपुर रोड़, देहरादून

सूचना सं० – 02/एंग्लिंग/2017-18

देहरादून, दिनांक : दिसम्बर, 2017

--बीट आंवटन हेतु आवेदन आमंत्रण--

एतद्वारा जनपद देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी एवं बागेश्वर की नदियों में चिन्हित बीटों में एंग्लिंग लाईसेन्स निर्गत किये जाने हेतु स्थानीय स्तर पर गठित महिला मंगल दल, नवयुवक मंगल दल, स्वयं सहायता समूह, मत्स्य जीवी सहकारी समिति एवं स्थानीय स्तर पर अन्य प्राविधानों के तहत गठित समितियों/सोसाइटी आदि जो मात्स्यिकी कार्यों में अभिरुचि रखते हो, को लॉटरी माध्यम से 03 वर्षीय ठेके के आधार पर चिन्हित बीट आंवटन हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र० सं०	जनपद	नदी का नाम	बीट की संख्या	क्र० सं०	जनपद	नदी का नाम	बीट की संख्या
1.	उत्तरकाशी	पावर	01	2.	उत्तरकाशी	टौंस	02
3.	उत्तरकाशी	यमुना	06	4.	देहरादून	टौंस	01
5.	देहरादून	यमुना	01	6.	देहरादून	कथनो गाड़	01
7.	बागेश्वर	गोमती	07	8.	पौड़ी	पश्चिमी नयार	08
9.	पौड़ी	पूर्वी नयार	14	10.	पौड़ी	नयार	05
योग कुल बीटों की संख्या						46	

इच्छुक आवेदनकर्ता सम्बन्धित जनपद के मत्स्य विभाग कार्यालयों से निशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन पत्र प्राप्त करने के उपरान्त आवेदकों को अपने आवेदन समस्त औपचारिकताओं सहित दिनांक 12.01.2018 (अपराहन् 12:00 बजे) तक मत्स्य निदेशालय, बड़ासी ग्रांट (धन्याड़ी) देहरादून में रजिस्टर्ड डाक/स्पीड-पोस्ट से प्राप्त हो अथवा स्वयं उपस्थित होकर जमा किये जा सकते हैं। बीट आंवटन हेतु सूचीबद्ध एवं लॉटरी की कार्यवाही दिनांक 12.01.2018 को गठित समिति द्वारा मत्स्य निदेशालय, देहरादून में खोली जायेगी। लॉटरी प्रक्रिया की अन्य नियम व शर्तें लॉटरी प्रपत्र सम्बन्धित जनपदीय मत्स्य विभाग कार्यालयों से प्राप्त कर अथवा विभागीय वेबसाइट www.fisheriesuk.org से डाउनलोड कर देखी जा सकती हैं।

प्रपत्र डाउनलोड की तिथि

– 12.12.2017 से 08.01.2018

जनपदीय कार्यालयों एवं मत्स्य निदेशालय से प्रपत्र प्राप्त करने की तिथि

– 12.12.2017 से 12.01.2018

प्रपत्र जमा करने की अन्तिम तिथि

– 12.01.2018 (अपराहन् 12:00 बजे तक)

लॉटरी खुलने की तिथि, समय एवं स्थान

– मत्स्य निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में 12.01.2018 को अपराहन् 01 बजे

निदेशक मत्स्य, उत्तराखण्ड

कार्यालय मत्स्य निदेशालय, उत्तराखण्ड

मत्स्य भवन, बड़ासी ग्रांट (धन्याडी), देहरादून

— सूचना संख्या 02/एंग्लिंग/2017-18 दिनांक 07 दिसम्बर, 2017 की शर्तें व नियम—

- लॉटरी माध्यम से निम्न जनपदों की नदियों में चिन्हित बीटों को 03 वर्षीय ठेके के आधार पर आवंटित किया जायेगा

जनपद उत्तरकाशी की नदियों के बीटों का विवरण।

बीट संख्या	नदी का नाम	जोन	बीट का नाम	बीट की लम्बाई
1.	पावर	ट्राउट	सनेल से कास्टा	05.00 कि०मी०
2.	टौंस	ट्राउट	नैटवाड़ से बेनोल गांव	05.00 कि०मी०
3.	टौंस	महाशीर	बेनोल गांव से खूनीगाड़	05.00 कि०मी०
4.	यमुना	महाशीर	स्यानाचट्टी से पाली गाड़ व यमुना के संगम तक	05.00 कि०मी०
5.	यमुना	महाशीर	पालीगाड़ एवं यमुना संगम स्थल से खनेड़ा पुल तक	07.00 कि०मी०
6.	यमुना	महाशीर	गंगनानी सरनौल गाड़/ केदारगंगा के संगम से पौंटी तक	05.00 कि०मी०
7.	यमुना	महाशीर	पौंटी पुल से सौली (कमल नदी के संगम)	05.00 कि०मी०
8.	यमुना	महाशीर	सौली (कमल नदी के संगम) से गंगनानी धारा तक	05.00 कि०मी०
9.	यमुना	महाशीर	गंगनानी धारा से डामटा तक	05.0 क०मी०

जनपद बागेश्वर की नदियों के बीटों का विवरण।

बीट संख्या	नदी का नाम	जोन	बीट का नाम	बीट की लम्बाई
1.	गोमती	महाशीर	मैगडीस्टेट में नरसिंह मंदिर से पिगंलो तक	04.00 कि०मी०
2.	गोमती	महाशीर	पिगंलो से प्रकटेश्वर मंदिर तक	04.00 कि०मी०
3.	गोमती	महाशीर	प्रकटेश्वर मंदिरसे कार्तिकेश्वर मंदिर तक	04.00 कि०मी०
4.	गोमती	महाशीर	कार्तिकेश्वर मंदिर से तिलोणी तक	04.00 कि०मी०
5.	गोमती	महाशीर	चक्रवृहदेश्वर से ढकुरा गधेरे के संगम तक	04.00 कि०मी०
6.	गोमती	महाशीर	ढकुरा गधेरे के संगम से बिजौरीझाल गधेरे के संगम तक	04.00 कि०मी०
7.	गोमती	महाशीर	बिजौरीझाल गधेरे के संगम से गोपेश्वर मंदिर तक	04.00 कि०मी०

जनपद देहरादून की नदियों के बीटों का विवरण।

बीट संख्या	नदी का नाम	जोन	बीट का नाम	बीट की लम्बाई
5.	टौंस	महाशीर	अणु गांव से फेडीज पुल तक	04.00 कि०मी०
12.	यमुना	महाशीर	भद्रीगाड़ संगम से यमुना पुल तक	03.00 कि०मी०
17.	कुथनौ गाड़	महाशीर	दारमाटी छानी से आमखेत (यमुना पुल संगम) तक	02.00 कि०मी०

जनपद पौडी की नदियों के बीटों का विवरण।

बीट संख्या	नदी का नाम	जोन	बीट का नाम	बीट की लम्बाई
1.	पश्चिमी नयार	महाशीर	पैठाणी मोटर पुल से साँकरसौड बाजार तक	05.00 कि०मी०
2.	पश्चिमी नयार	महाशीर	साँकरसौड बाजार से कलगणी झूलापुल तक	04.00 कि०मी०
3.	पश्चिमी नयार	महाशीर	कलगणी झूलापुल से पाबौ मोटर पुल तक	04.50 कि०मी०
4.	पश्चिमी नयार	महाशीर	पाबौ मोटर पुल से कटूड बैण्ड	05.00 कि०मी०
5.	पश्चिमी नयार	महाशीर	कटूड बैण्ड से ज्वाल्पा मन्दिर तक	04.50 कि०मी०
6.	पश्चिमी नयार	महाशीर	ज्वाल्पा मन्दिर से पाटीसैण बाजार के समीप जलसंस्थान कॉलोनी तक	04.00 कि०मी०
7.	पश्चिमी नयार	महाशीर	पाटीसैण बाजार के समीप जलसंस्थान कॉलोनी से बौसाल मोटर पुल तक	04.00 कि०मी०
8.	पश्चिमी नयार	महाशीर	बौसाल मोटर पुल से चमोलीसैण तक	05.00 कि०मी०
9.	नयार	महाशीर	चमोलीसैण से बाँघाट पुल तक	03.00 कि०मी०
10.	नयार	महाशीर	बाँघाट पुल से भुवनेश्वरी मन्दिर तक	03.00 कि०मी०
11.	नयार	महाशीर	भुवनेश्वरी मन्दिर से सरोडा झूलापुल तक	04.00 कि०मी०
12.	नयार	महाशीर	सरोडा झूलापुल से थनगण गदेरे के संगम तक	04.00 कि०मी०
13.	नयार	महाशीर	थनगण गदेरे के संगम से ब्यासघाट तक	05.00 कि०मी०
14.	पूर्वी नयार	महाशीर	कुन्दीनगर(कोदयुबगड) से ब्यासी मोटर पुल तक	05.00 कि०मी०
15.	पूर्वी नयार	महाशीर	ब्यासी मोटर पुल से थलीसैण तक	05.00 कि०मी०
16.	पूर्वी नयार	महाशीर	थलीसैण से भण्डेली गदेरे के संगम तक	03.00 कि०मी०
17.	पूर्वी नयार	महाशीर	भण्डेली गदेरे के संगम से गरसारी पुल तक	04.50 कि०मी०
18.	पूर्वी नयार	महाशीर	गरसारी पुल से जिवई (बपता) झूलापुल तक	05.00 कि०मी०
19.	पूर्वी नयार	महाशीर	जिवई (बपता) झूलापुल से बैजरो पुल तक	05.00 कि०मी०
20.	पूर्वी नयार	महाशीर	बैजरो मोटर पुल से स्युंसी बाजार तक	03.00 कि०मी०
21.	पूर्वी नयार	महाशीर	स्युंसी बाजार से पण्डिडा झूला पुल तक	04.00 कि०मी०
22.	पूर्वी नयार	महाशीर	पण्डिडा झूला पुल से डुमेला तल्ला पुल तक	03.00 कि०मी०
23.	पूर्वी नयार	महाशीर	डुमेला तल्ला पुल से दुनाव मोटर पुल तक	05.00 कि०मी०
24.	पूर्वी नयार	महाशीर	दुनाव मोटर पुल से संगलाकोटी तक	05.00 कि०मी०
25.	पूर्वी नयार	महाशीर	संगलाकोटी से रिठाखाल तक	05.00 कि०मी०
26.	पूर्वी नयार	महाशीर	रीठाखाल से क्वाटा तक	05.00 कि०मी०
27.	पूर्वी नयार	महाशीर	क्वाटा बाजार से मैदागढ गदेरे के संगम तक	05.00 कि०मी०

2. जनपद में विद्यमान ट्राउट/महाशीर जोन की जलधाराओं में जन सहभागिता से एंग्लिंग टूरिज्म को बढ़ावा देने वाले एंग्लिंग कार्यक्रम अन्तर्गत बीट आवंटन स्थानीय रूप से गठित महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, स्वयं सहायता समूह, मत्स्य जीवी सहकारी समिति एवं स्थानीय स्तर पर अन्य प्राविधानों के तहत गठित समितियों/सोसाइटी आदि को पात्रता एवं लॉटरी के आधार से ही बीट आवंटित किये जायेंगे।
3. कार्य के सन्दर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि बीट आवंटन प्राप्त होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा चिन्हित बीट अन्तर्गत देशी एवं विदेशी पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय व्यक्तियों को निर्धारित धनराशि पर एंग्लिंग लाईसेन्स निर्गत किये जायेंगे।
4. आवेदनकर्ता को वर्ष 2017-18 हेतु अपने आवेदन प्रस्तुत किये जाने होंगे, जिसके आधार पर कुल 03 वर्ष अर्थात् वर्ष 2017-18 से वर्ष 2019-20 तक की अवधि हेतु ठेका स्वीकृत किया जायेगा। अवधि की गणना 01 जुलाई से 30 जून तक की अवधि को सम्मिलित कर की जायेगी। प्रथम वर्ष की अवधि स्वीकृति की दिनांक से प्रारम्भ होकर 30 जून तक मानी जायेगी।
5. एक आवेदनकर्ता मात्र एक बीट हेतु ही आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सम्बन्धित आवेदनकर्ता आवेदन किये जाने वाले बीट के आस-पास का होना अनिवार्य है।
6. आवेदनकर्ता को अपने आवेदन सीलबन्द लिफाफे के अन्दर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम से मत्स्य निदेशालय, बड़ासी ग्रान्ट (धन्याड़ी) देहरादून को उपलब्ध कराये जाने होंगे। अथवा आवेदनकर्ता स्वयं उपस्थित होकर मत्स्य निदेशालय में रखी गयी लॉटरी पेटी में भी अपने आवेदन जमा कर सकते हैं।
7. लॉटरी के माध्यम से बीटों की आवंटन कार्यवाही शासन द्वारा गठित समिति के द्वारा मत्स्य निदेशालय, बड़ासी ग्रान्ट (धन्याड़ी) देहरादून में सम्पादित की जायेगी। समिति का निर्णय अन्तिम व बाध्यकारी होगा।
8. आवेदनकर्ता को आवेदन वाले लिफाफे पर प्रथम पंक्ति पर **“लॉटरी आधार पर बीट आवंटन हेतु आवेदन”** द्वितीय पंक्ति पर **“सम्बन्धित जनपद का नाम”** एवं तृतीय पंक्ति पर **“सम्बन्धित बीट संख्या एवं नदी का नाम”** अंकित किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेगे। डाक विभाग द्वारा विलम्ब से उपलब्ध करायी गयी डाक हेतु मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कोरियर के माध्यम से उपलब्ध कराये गये आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
9. **लॉटरी आधार से बीट आवंटन प्रक्रिया हेतु आवेदन करने वाले आवेदनकर्ताओं को आवेदन के समय (आवेदन वाले लिफाफे के अन्दर) निम्न अभिलेख उपलब्ध कराये जाने होंगे –**
 1. सहमति हेतु सहमति पत्र (प्रपत्र क के अनुसार)।
 2. बीट आवंटन हेतु बयाने की धनराशि – ₹500=00 (पांच सौ मात्र) का डिमान्ड ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0 जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत हो एवं सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य के पक्ष में निर्गत हो।
 3. गत वर्ष में लाभ-हानि के खाते की प्रमाणित प्रति एवं समिति/संस्था की अद्यतन वित्तीय स्थिति।
 4. पर्यावरणीय कार्यों का अनुभव प्रमाण पत्र अथवा विवरण।
 5. जनसहभागिता से कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र अथवा विवरण।
 6. समाजिक कार्यों का अनुभव प्रमाण पत्र अथवा विवरण।
 7. संस्था गठन के उपरान्त संस्था द्वारा किये गये संतोषजनक कार्यों का अनुभव प्रमाण पत्र अथवा विवरण।

8. मत्स्य पालन में प्रशिक्षण एवं मछलियों की जानकारी के साथ-साथ, आदि का अनुभव प्रमाण पत्र अथवा विवरण।
 9. ₹100/- का स्टाम्प पेपर (अनुबंधित), प्रस्तुत आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।
10. **लॉटरी बीट आवंटन प्रक्रिया में संस्थाओं को निम्नानुसार वरीयता दी जायेगी –**
 - 1) पर्यावरणीय कार्यों का अनुभव।
 - 2) जनसहभागिता से कार्य करने का अनुभव।
 - 3) समाजिक कार्यों का अनुभव।
 - 4) संस्था गठन के उपरान्त संस्था द्वारा किये गये संतोषजनक कार्यों का अनुभव।
 - 5) मत्स्य पालन में प्रशिक्षण एवं मछलियों की जानकारी आदि का अनुभव।
 - 6) उपरोक्त एक से पांच क्रमांक तक की शर्तों का पूर्ण करने के साथ साथ आरक्षित धनराशि के सापेक्ष उच्चतम धनराशि प्रस्तुत करने वाले आवेदनकर्ता के पक्ष में लॉटरी स्वीकृत की जायेगी।
 11. बीट आवंटन हेतु प्राप्त आवेदनों को उपरोक्त शर्त संख्या 9 एवं 10 में निर्धारित पात्रता/वरीयता के आधार पर सूचीबद्ध कर बीट आवंटन हेतु लॉटरी प्रक्रिया में भाग लेने हेतु गठित समिति द्वारा चयनित किया जायेगा।
 12. प्रत्येक बीट हेतु ₹5,000=00 का आरक्षित मूल्य निर्धारित किया गया है। आवेदनकर्ता आरक्षित मूल्य से अधिक की धनराशि भी प्रस्तुत कर सकता है। सफल आवेदनकर्ता को स्वीकृत बीट में स्वीकृत वार्षिक धनराशि के अनुसार ही धनराशि जमा की जानी होगी।
 13. संस्थाओं को सूचीबद्ध किये जाने एवं लॉटरी प्रक्रिया शासन द्वारा गठित समिति द्वारा सम्पादित की जायेगी, जिस पर समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
 14. सफल आवेदनकर्ता/संस्था को स्वीकृति के दिनांक से अधिकतम दो सप्ताह के भीतर अनुबंध पत्र पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
 15. कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार स्टाम्प पंजीकरण अधिनियम के अनुसार देय स्टाम्प ड्यूटी संदत्त की जायेगी तथा तदनुसार अनुबन्ध पत्र निष्पादित किया जायेगा। अनुबंध के समय अनुबंधकर्ता को वर्ष 2016-17 हेतु बीट हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि तथा साथ ही स्वीकृत धनराशि के अनुसार तीन वर्षों की कुल धनराशि का 20 प्रतिशत धनराशि जमानत धनराशि के रूप में जमा की जानी होगी। स्वीकृत धनराशि डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में तथा जमानत धनराशि डिमान्ड ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के रूप में जमा की जायेगी जो किसी राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा निर्गत हो तथा सम्बन्धित जनपद के उप निदेशक मत्स्य/सहायक निदेशक मत्स्य के पक्ष में देय होगी।
 16. यदि निर्धारित समयवधि में सफल आवेदनकर्ता द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि एवं धरोहर धनराशि जमा करते हुए अनुबंध नहीं किया जाता है तो बयाने की धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं बीट आवंटन की स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
 17. बीट आवंटन ठेके के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में कार्यदायी संस्था को 30 जून से पूर्व बीट की स्वीकृत धनराशि जमा की जानी होगी, तदुपरान्त ही द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में एंग्लिंग परमिट निर्गत किये जाने की अनुज्ञप्ति जारी की जायेगी।
 18. प्रथम वर्ष में अनुबंध पत्र पूर्ण रूपेण निष्पादित होने के उपरान्त मत्स्य निदेशालय द्वारा सफल आवेदनकर्ता को सम्बन्धित बीट में एंग्लिंग लाईसेन्स निर्गत किये जाने की अनुज्ञप्ति जारी की जायेगी। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में निर्धारित धनराशि ससमय जमा होने के उपरान्त ही एंग्लिंग लाईसेन्स निर्गत किये जाने की अनुज्ञप्ति जारी की जायेगी।
 19. यदि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्धारित किश्तें जमा नहीं की जाती है तो सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा सहायक निदेशक मत्स्य के नामें राष्ट्रीकृत बैंक में जमा

धरोहर धनराशि से उक्त लम्बित किश्त का समायोजन किश्त जमा करने हेतु निर्धारित तिथि से अगले दिन और यदि अगला दिन सार्वजनिक अवकाश हो, तो उसके ठीक दूसरे दिन, प्रत्येक दशा में जमा किया जायेगा। यह दायित्व सम्बन्धित प्रभारी व उनके नियंत्रक अधिकारी यथा सहायक निदेशक मत्स्य का होगा।

20. यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो शासकीय धन की क्षति के लिए उत्तरदायित्व मानते हुये सम्बन्धित प्रभारी एवं सहायक निदेशक मत्स्य के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही की जायेगी और इस तथ्य का उल्लेख उसकी आगामी वर्ष की चरित्र पंजिका में भी अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
21. कार्यदायी संस्था को अनुबन्ध के अनुसार पूरे तीन वर्षों तक ठेका चलाना होगा। ठेके की अवधि समाप्त होने के छः माह उपरान्त जमानत धनराशि वापस की जायेगी। यदि कार्यदायी संस्था द्वारा मध्य में ही ठेका छोड़ दिया जाता है तो जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी और यदि जमानत धनराशि जब्त करने के उपरान्त भी कार्यदायी संस्था पर ठेके की देय धनराशि अवशेष रह जाती है तो उसका भुगतान कार्यदायी संस्था द्वारा सहायक निदेशक मत्स्य के नामें राष्ट्रीकृत बैंक में जमा धरोहर धनराशि में से समायोजित कर लिया जायेगा।
22. यदि किसी कार्यदायी संस्था पर ठेके से सम्बन्धित कोई धनराशि बकाया रह जाती है तो उक्त धनराशि को भू-राजस्व के समान वसूली का अधिकार प्रशासनिक विभाग का होगा। पूर्व में मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत कार्य कर चुके ऐसे कार्यदायी संस्था जिनके द्वारा अपनी कार्य अवधि के दौरान विभागीय शर्तों का उल्लंघन किया गया हो अथवा जिन पर विभागीय देय धनराशि बकाया हो, बीट आंवटन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
23. सम्बन्धित बीटों के प्रभारियों के कार्यों के पर्यवेक्षण एवं निर्देशन हेतु नियंत्रक अधिकारी सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य होंगे।
24. एंग्लिंग कार्यक्रम से जनपद में पर्यटन को बढ़ावा मिले, इस हेतु कार्यदायी संस्था देशी/विदेशी पर्यटकों/बीट के आस-पास के स्थानीय व्यक्तियों हेतु एंग्लिंग परमिट दरें निम्न तालिका के अनुसार निर्धारित है। कार्यदायी संस्था आवश्यकतानुसार निर्धारित दर से अधिक दरों पर देशी एवं विदेश पर्यटकों को परमिट निर्गत कर सकता है परन्तु रोजगार की दृष्टि से स्थानीय व्यक्ति हेतु निर्धारित दर को उत्तराखण्ड शासन/मत्स्य विभाग की अनुमति के बिना परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

एंग्लर्स का विवरण	एंग्लिंग परमिट निर्गत किये जाने हेतु निर्धारित दरें (प्रति एंग्लिंग परमिट)	
	महाशीर जोन	ट्राउट जोन
देशी पर्यटक	₹75/-	₹100/-
विदेशी पर्यटक	₹150/-	₹200/-
रोजगार की दृष्टि से स्थानीय व्यक्ति	₹20/-	₹20/-

(स्थानीय व्यक्ति का तात्पर्य – बीट के आस-पास के क्षेत्र के ऐसे व्यक्ति, जो पूर्व से मछली पकड़ने का कार्य करते हैं तथा मछली ही जिनकी आजीविका है।)

25. प्रत्येक दिवस पर एंग्लिंग कार्य की अनुमति सूर्योदय (प्रातः 08:00 बजे) से सूर्यास्त (सायं: 5:00 बजे) तक ही अनुमन्य होगी।
26. कार्यदायी संस्था द्वारा एंग्लिंग कार्य हेतु केवल निर्धारित एंग्लिंग रोड का ही उपयोग किया जायेगा। यदि ट्राउट एवं महाशीर मछली क्रमशः 300 ग्राम एवं 500 ग्राम निर्धारित वजन से कम वजन की पकड़ी जाती है तो उसे पुनः जलधारा में छोड़ना होगा, जिससे कि मत्स्य संरक्षण एवं संवर्दन को किसी प्रकार से क्षति न पहुँचे।

27. ट्राउट एवं महाशीर बीटों के अन्तर्गत किसी भी दशा में जाल का उपयोग किया जाना वर्जित होगा।
28. महाशीर जलक्षेत्र के संगम से सामान्य जलक्षेत्र के एक किलोमीटर बहाव व एक किलोमीटर बहाव के विपरीत दिशा में जाल आदि से मत्स्य आखेट का कार्य पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित होगा।
29. सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी/बीट प्रभारी द्वारा एंग्लिंग से पकड़ी गयी मछलियों की संख्या एवं जारी किये गये एंग्लिंग परमिट एवं एंग्लिंग परमिट हेतु प्राप्त किये गये मूल्य का विवरण प्रत्येक दिवस के लिए अनुरक्षित किया जायेगा एवं कार्यदायी संस्था को विभागीय अधिकारियों को सम्बन्धी सूचना उपलब्ध करानी होगी।
30. टेके की अवधि में बीट व उसके आस-पास के वातावरण को एंग्लर्स एवं उनके सहयोगियों तथा कार्यदायी संस्था द्वारा कोई क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी तथा मछलियों के अतिरिक्त अन्य जलजीवों को भी कोई क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी। यह दायित्व सम्बन्धित बीट के कार्यदायी संस्था एवं प्रभारी का होगा।
31. यदि कार्यदायी संस्था द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो तत्काल रूप से आंवटित बीट को निरस्त कर दिया जायेगा।
32. कार्यदायी संस्था द्वारा आंवटित बीट में 15 हजार ट्राउट/महाशीर मत्स्य बीज प्रति किलो मीटर की दर से प्रति वर्ष विभाग के अधिकारी के समक्ष संचय किया जायेगा। संचित मत्स्य बीज का मूल्य तथा यातायात व्यय प्रतिवर्ष सम्बन्धित कार्यदायी संस्था द्वारा जमा किया जायेगा।
33. मत्स्य सम्पदा के संरक्षण हेतु आंवटित कार्यक्षेत्र में वर्षा ऋतु के उपरान्त नदी का जल स्तर घटने पर उसके छुड़ानों में फसी हुयी छोटी मछलियों को कार्यदायी संस्था द्वारा पकड़ कर मुख्य जलाधारा में संचित करना होगा।
34. संविदा अवधि समाप्त होने के पश्चात् जमानत धनराशि वापस की जायेगी। यदि संविदा अवधि में कार्यदायी संस्था द्वारा नदियों की सम्पत्ति को कोई हानि पहुंचाई जाती है अथवा इस अनुबन्ध की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो उसकी प्रतिपूर्ति/कटौती जमानत धनराशि से की जायेगी। यदि सम्पत्ति को पहुंचाई गई हानि की धनराशि जमानत धनराशि से कटौती के उपरान्त भी अवशेष रहती है तो उसे कार्यदायी संस्था द्वारा सहायक निदेशक मत्स्य के नामें राष्ट्रीकृत बैंक में जमा धरोहर धनराशि से समायोजित किया जायेगा।
35. एंग्लिंग कार्य निर्धारित बीट के क्षेत्रफल तक ही किये जा सकेंगे।
36. कार्यदायी संस्था और उसके प्रतिनिधि, बीट के आस-पास की किसी भी सरकारी/निजी सम्पत्ति को कोई क्षति नहीं पहुंचायेंगे तथा इस सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों के आदेश स्वीकार्य होंगे।
37. वर्षा ऋतु के दौरान जब मुख्य नदी का जल स्तर बढ़ कर उसका पानी गन्दा हो जाता है तो ऐसे समय में मछलियों मुख्य जलधारा को छोड़कर साफ पानी वाली छोटी जलधाराओं में चली जाती है, इस अवधि में इस प्रकार की जलधाराओं के आस पास किसी भी प्रकार का मत्स्य आखेट नियम 12 के उपनियम (12) के परन्तुक को छोड़कर प्रतिबन्धित होगा।
38. ट्राउट/महाशीर बीटों में एंग्लिंग कार्यक्रम निम्न अवधि में प्रति वर्ष पूर्णत प्रतिबन्धित रहेगी –

ट्राउट जोन – 01 नवम्बर से 28 फरवरी

अन्य जोन – 01 जुलाई से 30 सितम्बर

प्रजनन काल की अवधि में कार्यदायी संस्था द्वारा आंवटित बीट एवं उसमें समाहित होने वाली जलधाराओं में महाशीर/ट्राउट प्रजाति की मछलियों का संरक्षण

(शर्त संख्या 37 के अनुसार) कार्य किया जाना अनिवार्य होगा। यदि मत्स्य सम्पदा के संरक्षण एवं संवर्द्धन के कार्य में कार्यदायी संस्था में कोई भी लापरवाही बरती जाती है तो बीट आंवटन तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।

39. इसके उल्लंघन करने पर उत्तराखण्ड मत्स्य अधिनियम 2003 के सुसंगत धाराओं के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी
40. उत्तराखण्ड शासन/निदेशक मत्स्य/सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य, द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कार्यदायी संस्था या उसके प्रतिनिधि द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी शर्तों/प्रतिबंधों के उल्लंघन की दशा में संविदा समाप्त मानते हुए एंग्लिंग कार्य तत्काल बन्द कर दिये जायेगे और उक्त अवधि की ठेके की धनराशि की किस्त यदि अवशेष रह जाती है तो उसका भुगतान कार्यदायी संस्था द्वारा सम्बन्धित सहायक निदेशक मत्स्य के नामें राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा धरोहर धनराशि से समायोजित कर किया जायेगा।
41. ठेका से सम्बन्धित कोई भी बकाया राशि भू-राजस्व के बकाये की तरह वसूल की जा सकेगी।
42. शासन/मत्स्य विभाग द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी, कार्यदायी संस्था द्वारा एंग्लिंग रोड से की गयी शिकारमाही मछली की जांच किसी भी स्थान पर कर सकते है। संदेह एवं असंतोषजनक स्थिति में एंग्लिंग रोड तत्काल जब्त की जायेगी तथा कार्यदायी संस्था के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जा सकेगी। एंग्लिंग कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितताओं के लिए सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पर रू0 5,000.00 तक की धनराशि का जुर्माना एक समय में किया जा सकता है।
43. विभाग द्वारा प्रायोगिक शिकारमाही करने में कार्यदायी संस्था को कोई आपत्ति नहीं होगी। मत्स्य उत्पादन हेतु विभाग द्वारा शीत-संरक्षण, पोस्ट हार्वेस्टिंग व अन्य वैज्ञानिक विधियों से मत्स्य उत्पादन, संरक्षण कौनिंग, ब्रूडर कलैक्शन, इत्यादि अवस्थापनाएं स्थापित करने हेतु कार्यदायी संस्था को पूर्ण सहयोग करना होगा।
44. कार्यदायी संस्था यदि किसी कारणवश एंग्लिंग कार्य को बन्द करना चाहता है तो उसकी सूचना न्यूनतम तीन दिवस पूर्व सहायक निदेशक मत्स्य अथवा प्रभारी अथवा मत्स्य निदेशालय को देनी अनिवार्य होगी।
45. कार्यदायी संस्था को गत वर्ष में लाभ-हानि के खाते की प्रमाणित प्रतिलिपि, समिति की वित्तीय स्थिति, समिति द्वारा शर्तनामा भरने, धनराशि जमा करने, अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने तथा विभाग से पत्राचार करने हेतु अधिकृत व्यक्ति/पदाधिकारी के सम्बन्ध में समिति की बैठक के तत्सम्बन्धी प्रस्ताव पारित कर उसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध करानी आवश्यक होगी तथा संस्था द्वारा दो-दो प्रतिनिधियों के नामों का प्रस्ताव फोटो सहित सत्यापित कर प्रस्तुत की जायेगी।
46. इस प्रपत्र में उल्लिखित उपरोक्त सभी शर्तें अनुबन्ध का भाग समझी जायेंगी।
47. मत्स्य आखेट हेतु उत्तराखण्ड राज्य जल प्रबन्धन मत्स्य पालन एवं संग्रहण नियमावली, 2013 का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा, जो कि नियमावली में दिये गये प्रतिबन्धों के अधीन होगा।
48. ठेके के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने की दशा में मामला शासन द्वारा नियुक्त मध्यस्थ जो कि अपर सचिव स्तर से अनिम्न अधिकारी होगा, को संदर्भित किया जायेगा, मध्यस्थ की नियुक्ति शासन द्वारा आर्बीटेशन एण्ड कन्सीलिएशन एण्ट 1996 के प्राविधानों के तहत की जायेगी तथा किसी भी प्रकार के विवाद हेतु न्यायक्षेत्र देहरादून होगा।

कार्यालय मत्स्य निदेशालय, उत्तराखण्ड

बड़ासी ग्रांट (धन्याड़ी), रायपुर रोड, देहरादून

जनपद स्थित नदी के बीट
..... से तक के बीट आवंटन आवेदन हेतु सहमति पत्र

महोदय,

मैंने/हमने निम्नांकित जनपद की नदी में चिह्नित बीट के आवंटन हेतु आवेदन प्रपत्र की संलग्न सभी शर्तों को पढ़ लिया है व भली भांति समझ लिया है। मुझे/हमें सभी शर्तें स्वीकार हैं। बीट आवंटन की स्वीकृति सूचना मिलने पर दो सप्ताह के अन्दर मैं/हम अपने धन से खरीदे हुये निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध प्रपत्र पूर्ण करने को तैयार हूँ/हैं और आवेदन प्रपत्र में निर्धारित बयाने की धनराशि का डिमान्ड ड्राफ्ट के रूप में संलग्न कर दी है। बीट आवंटन की स्वीकृति पर मैं/हम समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर निर्धारित अवधि में अनुबन्ध पूर्ण कर सम्बन्धित बीट में एंग्लिंग लाईसेन्स की अनुज्ञप्ति आदेश प्राप्त करने हेतु बाध्य होंगा/होगें।

क्र० सं०	जनपद/नदी/बीट का नाम	एक बीट हेतु आरक्षित धनराशि (₹ में)	बयाने की धनराशि (आरक्षित धनराशि का 10 प्रतिशत) (₹ में)	आवेदनकर्ता द्वारा बीट के लिए प्रस्तुत वार्षिक धनराशि (₹ में)
1	2	3	4	5
1.	जनपद नदी जोन बीट से तक	₹5000=00 (₹पांच हजार मात्र)	₹500=00 (₹पांच सौ मात्र)	₹.....

उपरोक्त बीट हेतु आवेदन प्रपत्र निःशुल्क प्राप्त करते हुए मेरे द्वारा बयाने की धनराशि ₹500=00 का बैंक ड्राफ्ट/डिमान्ड ड्राफ्ट संलग्न किया जा रहा है, जिसका नम्बर जमा किया गया है।

- आवेदनकर्ता का नाम
- आवेदनकर्ता का पूरा पता नोटरी द्वारा प्रमाणित
- आवेदनकर्ता/संस्था के किसी व्यक्ति का पहचान पत्र (राशन कार्ड/चुनाव आयोग द्वारा निर्गत पहचान पत्र/वाहन चालन अनुज्ञा/आयकर खाता संख्या प्रमाण पत्र)
- आवेदन के साथ अनिवार्यतः ₹100 के स्टाम्प पेपर (अनुबंधित)

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर
दिनांक

सम्बन्धित जनपद में बीट आवेदन हेतु आवेदन प्रपत्र प्राप्त किये जाने के लिए विभागीय जनपदीय कार्यालय के नाम एवं सम्पर्क सूत्र

क्र० सं०	जनपद का नाम	पता	सम्पर्क सूत्र
1.	देहरादून	कार्यालय जनपद मत्स्य प्रभारी मत्स्य निदेशालय, बड़ासी ग्रान्ट (धन्याड़ी) रायपुर, देहरादून।	श्री विनोद कुमार यादव, जनपद मत्स्य प्रभारी +917251000156, +919411142500
2.	बागेश्वर	कार्यालय जनपद मत्स्य प्रभारी, विकास भवन, बागेश्वर।	श्री मनोज सिंह मियान, जनपद मत्स्य प्रभारी +917251000181 +919411316333
3.	उत्तरकाशी	कार्यालय सहायक निदेशक मत्स्य, विकास भवन, उत्तरकाशी।	श्री पी०के०शुक्ल, सहायक निदेशक मत्स्य +917251000170 +918881274926
4.	पौड़ी गढ़वाल	कार्यालय जनपद मत्स्य प्रभारी, विकास भवन, 7 ई०, ब्लाक, पौड़ी गढ़वाल	श्री अभिषेक कुमार मिश्रा, जनपद मत्स्य प्रभारी +917251000166 +918937080933

समस्त जनपदों के बीट आवेदन हेतु आवेदन प्रपत्र प्राप्त किये जाने के लिए मत्स्य निदेशालय कार्यालय के नाम एवं सम्पर्क सूत्र

क्र० सं०	जनपद का नाम	पता	सम्पर्क सूत्र
1.	देहरादून	कार्यालय मत्स्य निदेशालय, बड़ासी ग्रान्ट (धन्याड़ी) रायपुर, देहरादून।	श्री एच०के०पुरोहित, उप निदेशक मत्स्य (नियो०) +917251000152